

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या: 07/2025

दर्ज दिनांक: 15.01.2025

जी.सी.एम.एस. नं: 2025/26

नरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण ग्राम चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

प्रार्थी.....

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू

अप्रार्थी.....



प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक:- 21.03.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 614 रकबा 0.45 हैक्टर ,ख.नं. 716 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद के बजाय नर्बदीदेवी पत्नि हनुमान गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी की माता के अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में सही नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से नर्बदी देवी पत्नि हनुमान गलत दर्ज हो गया है जिसको प्रार्थी शुद्ध व दुरुस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थी की माता नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद की मृत्यु दिनांक 02.02.2019 को हो चुकी है प्रार्थी अपनी पैतृक भूमि में विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये पटवारी हल्का से मिला तब ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की माता के दस्तावेज व मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित नाम व राजस्व रिकार्ड दर्ज नाम में भिन्नता है जिसके कारण विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता इसलिये प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नर्बदी देवी पत्नि हनुमान के बजाय नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद शुद्ध व दुरुस्त करवाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 614 रकबा 0.45 हैक्टर ,ख.नं. 716 रकबा 0.33 हैक्टर कुल

  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

किता 02 कुल रकबा 0.78 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नर्बदी देवी पत्नि हनुमान के बजाय नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद शुद्ध/दुरुस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/546 दिनांक 03.03.2025 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 614 रकबा 0.45 हैक्टर ,ख.नं. 716 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नर्बदी देवी पत्नि हनुमान के बजाय नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद शुद्ध/दुरुस्त किया जाना सही है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 614 रकबा 0.45 हैक्टर ,ख.नं. 716 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद के बजाय नर्बदीदेवी पत्नि हनुमान गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी की माता के अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में सही नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से नर्बदी देवी पत्नि हनुमान गलत दर्ज हो गया है जिसको शुद्ध व दुरुस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुंचते है कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 614 रकबा 0.45 हैक्टर ,ख.नं. 716 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद के बजाय नर्बदीदेवी पत्नि हनुमान गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी की माता के अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि में सही नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से नर्बदी देवी पत्नि हनुमान गलत दर्ज हो गया है। जिसको प्रार्थी ने शुद्ध व दुरुस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहीर होता है कि प्रार्थी की माता का सही नाम नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।



सुपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 614 रकबा 0.45 हैक्टर ,ख.नं. 716 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हैक्टर भूमि में प्रार्थी की माता के हिस्से 1/7 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम नर्बदी देवी पत्नि हनुमान के स्थान पर नर्मदा पत्नि हनुमान प्रसाद शुद्ध/दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।



दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

(सुमन सोनल)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी